



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032021-226188
CG-DL-E-27032021-226188

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1273]

नई दिल्ली शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 1273]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1377(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड

(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754AD के लुधियाना- बठिंडा (ग्रीनफील्ड) राजमार्ग का विकास तक के किमी. 34 किमी. से 64 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754AD के लुधियाना-बठिंडा (ग्रीनफील्ड) राजमार्ग का विकास तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम						
1	2	3	4	5	6	7						
1	जिला राजस्व अधिकारी बरनाला	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH754AD के कि.मी. 34 से 64 तक	पंजाब	बरनाला	<table><tr><td>तापा</td><td><table><tr><td>1</td><td>पट्टी दीप सिंह (8)</td></tr><tr><td>2</td><td>पट्टी वीर सिंह (7)</td></tr></table></td></tr></table>	तापा	<table><tr><td>1</td><td>पट्टी दीप सिंह (8)</td></tr><tr><td>2</td><td>पट्टी वीर सिंह (7)</td></tr></table>	1	पट्टी दीप सिंह (8)	2	पट्टी वीर सिंह (7)	
तापा	<table><tr><td>1</td><td>पट्टी दीप सिंह (8)</td></tr><tr><td>2</td><td>पट्टी वीर सिंह (7)</td></tr></table>	1	पट्टी दीप सिंह (8)	2	पट्टी वीर सिंह (7)							
1	पट्टी दीप सिंह (8)											
2	पट्टी वीर सिंह (7)											

[फा. सं. 901/LA/2020/NHAI/PIU-LDH]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1377(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 34 to Km. 64 of the NH754AD for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation for Development of Access controlled Ludhiana Bathinda Greenfield highway in the State of Punjab.

SCHEDULE

Land acquisition on NH 754AD for Development of Access controlled Ludhiana Bathinda Greenfield highway in the State of Punjab.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer Barnala	34KM To 64KM	PUNJAB	BARNALA	Tapa	1 Patti Deep Singh (8)
						2 Patti Veer Singh (7)

[F. No. 901/LA/2020/NHAI/PIU-LDH]

RAJESH GUPTA, Director